

(1) सिविल अपील क्रमांक: 01 / 15

न्यायालय:- द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)  
(समक्ष: श्री पी.सी. आर्य )

सिविल अपील क्रमांक: 01 / 15  
संस्थापन दिनांक 09 / 01 / 2015  
फाइलिंग नं-230303000062015

1. तिलक सिंह आयु 50 साल
2. पानसिंह आयु 41 साल पुत्रगण झण्डा सिंह  
जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम खरौआ  
परगना गोहद

.....अपीलार्थी / प्रतिवादीगण

### बनाम

1. ओंकारसिंह पुत्र श्री झण्डासिंह आयु 45 साल  
जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम खरौआ परगना गोहद
2. म0प्र0 शासन द्वारा—  
श्रीमान कलैक्टर महोदय, जिला भिण्ड

.....असल प्रत्यर्थी / वादी

.....तरतीवी.प्रत्यर्थी

---

अपीलार्थी / प्रतिवादीगण द्वारा श्री आर.पी.एस. गुर्जर अधिवक्ता।  
प्रत्यर्थी / वादी क्र0-1 द्वारा श्री अशोक पचौरी एड0।  
प्रत्यर्थी क्र0-02 पूर्व से एकपक्षीय

---

न्यायालय-श्री एस0के0 तिवारी, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, गोहद, जिला भिण्ड द्वारा  
व्यवहारवाद क्रमांक-10ए/2012 ई.दी. में पारित निर्णय दिनांक 25/11/2014 से  
उत्पन्न सिविल अपील।

---

### -:- निर्णय -:-

(आज दिनांक 07.04.2016 को घोषित किया गया)

1. प्रतिवादी/अपीलार्थीगण की ओर से उक्त प्रथम सिविल अपील धारा 96 सी0पी0सी0 के अंतर्गत न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 गोहद श्री एस0के0 तिवारी द्वारा सिविल वाद प्रकरण क्रमांक 10ए/2012 इ0दी0 में पारित निर्णय व आज्ञाप्ति दिनांक 25/11/2014 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण/प्रत्यर्थी के मूल वाद को स्वीकार किया है।
2. प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि अपीलार्थी/प्रतिवादीगण एवं वादी/प्रत्यर्थी

(शासक)

क्र०-1 आपस में सगे भाई होकर स्व० झण्डासिंह की संतानें हैं। यह भी निर्विवादित है कि विवादित भूमि ग्राम खरौआ तहसील गोहद में स्थित है और उन्हीं पक्षकारों के पिता की मृत्यु सन 1993 में हो चुकी है तथा तीनों पक्षकारों का पैत्रिक संपत्ति में समान रूप से हिस्सा 1/3 भाग का हिस्सा है। पक्षकारों के मध्य बंटवारे की कार्यवाही चली थी जो निरस्त हुई थी और मौजा खरौआ में बंदोबस्त वर्ष 1989-90 के दरम्यान हुआ था।

3. विचारण न्यायालय में प्रत्यर्थी/वादी का वाद संक्षेप में इस प्रकार रहा है कि ग्राम खरौआ तहसील गोहद में विवादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक-918 रकवा 0.40, 919 रकवा 0.01, 956 रकवा 0.33, 1188 रकवा 0.10, 1129 रकवा 0.13, 1261 रकवा 0.09, 1268 रकवा 0.23, 1380 रकवा 0.31, 1382 रकवा 0.38, 1494 रकवा 0.24, 1613 रकवा 0.28, 1632 रकवा 0.69, 1739 रकवा 0.17, 1796 रकवा 0.06, 1855 रकवा 0.20, 1841 रकवा 0.15 स्थित है जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा है जिसमें वह भूमिस्वामी होकर आधिपत्यधारी है, उक्त भूमि पैत्रिक है जो वादी व प्रतिवादीगण को अपने पिता झण्डासिंह से प्राप्त हुई है। प्रतिवादी क्र०-1 व 2 चालाक व बेईमान व्यक्ति हैं इसलिये उन्होंने वादी के हिस्से को हड़पने के लिए मौजा पटवारी से सांठगांठ कर बिना सूचना दिये बिना सहमति के वादी के हिस्से को कम करते हुए बंटवारा पंजी क्र०-05 आदेश दि०-4/4/2016 जर्ज प्रतिवादी क्र०-1 तिलकसिंह ने हिस्सा 1.28 हैक्टेयर एवं प्रतिवादी क्र०-2 ने 1.49 है० पर अपने नाम का इन्द्राज राजस्व कागजात में दर्ज करा लिया और वादी को मात्र 0.95 हैक्टेयर भूमि दी। इसलिये उक्त कार्यवाही व्यर्थ व शून्य है।

4. वादी ने जब विवादित भूमि को विक्रय करने की बात गांव के लोगों से दि०-26/08/2010 को की, तब जानकारी हुई और पटवारी मौजा से दि०-30/08/2010 को यह ज्ञात हुआ कि प्रतिवादी ने साजिश करके अपना नाम आधे रकवा एवं उपजाऊ भूमि राजस्व कागजात में इन्द्राजित करा ली है और वादी के नाम कम हिस्से में एवं अनुपजाऊ भूमि दर्ज करा दी है। तब वादी द्वारा उक्त फर्जी बंटवारे के संबंध में एस.डी.ओ. गोहद के समक्ष अपील पेश की, जो कि प्रतिवादीगण ने एस.डी.ओ. गोहद से मिलकर बिना गुणदोष का निराकरण किए दि०-15/12/11 को निरस्त की जिसकी जानकारी एस.डी.ओ. गोहद ने उस समय नहीं दी। दि०-28/1/2012 को एक राय होकर वादी ने धौंस दी कि वादी फसल नहीं काटेंगे और फसल प्रतिवादीगण काटेंगे। उपरोक्त आधार पर वादीगण ने विवादित भूमि का भूमिस्वामी घोषित किए जाने एवं बंटवारा पंजी क्र०-5 को वादी के मुकाबले व्यर्थ व शून्य किए जाने तथा वादी को हिस्सा 1/3 भाग पर सुविधापूर्वक खेती करने देने व उसके कब्जा बर्ताव में बाधा उत्पन्न नहीं किए जाने के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारित किए जाने का निवेदन किया है।

5. प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क्र०-1 व 2 की ओर से स्वीकृत तथ्यों को छोड़कर जवाब दावा प्रस्तुत कर यह अभिवचन किया कि बंटवारा पंजी-5 में बंटवारा विधिवत व सही हुआ है और बंटवारा के समय वादी उपस्थित भी रहा था। ग्राम खरौआ के सर्वे नंबरान 939/1 रकवा 0.387 एवं सर्वे नंबर-939/2 रकवा 0.787 का जबरसिंह पुत्र देवलाल से लिखतम बयनामा दि०-19/06/1985 को कराया गया था, इसलिये वादी

एवं प्रतिवादी तिलकसिंह एवं प्रतिवादी पानसिंह को समान भाग से कृषि प्राप्त हुई थी और खरौआ में प्रतिवादी क०-1 व वादी को कम जमीन प्राप्त हुई थी। मौजा खरौआ की कृषि भूमि में वादी को जो हिस्सा प्राप्त हुआ था उसमें से ढेढ बीघा कृषि भूमि वादी को जो हिस्सा प्राप्त हुआ था, उसमें से ढेढ बीघा कृषि भूमि उससे ओंकार द्वारा बंदोबस्त के समय उदयरज को हिस्से में दे दी थी। इस प्रकार से ओंकार को छः बीघा तथा तिलकसिंह का 6 बीघा एवं 8 बीघा जमीन पानसिंह को प्राप्त हुई थी। पटवारी मौजा एवं तहसीलदार द्वारा विधिवत ग्राम पंचायत खरौआ द्वारा प्रस्ताव एवं इशतहार जारी करके दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद विधिवत बंटवारा किया गया था। बंटवारा के समय से ही वादी एवं प्रतिवादी को प्राप्त हिस्सा की भूमि में खेती कर रहा है। विक्रय की बात गलत लिखी गई है। प्रतिवादीगण कभी भी झगडा करने के लिये आमादा नहीं हुए। न ही बेदखल करने की धौंस दी। वादी ने दावे का उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्याय शुल्क भी अदा नहीं किया है। दावा अवधि भीतर भी नहीं है अतः दावा सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

6. अपील के निराकरण के लिये मुख्य रूप से निम्न प्रश्न विचारणीय है:-

1. क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सिविल वाद क्रमांक-10ए/12 इ०दी० में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.11.14 प्रकरण में आई साक्ष्य एवं विधि के प्रतिकूल होकर अपास्त किये जाने योग्य है?
2. क्या वादी/अपीलार्थी का मूल वाद डिक्री किए जाने योग्य है?

—::— निष्कर्ष के आधार —::—

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 एवं 2 का निराकरण:-

7. इस संबंध में अपीलार्थी/प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने अंतिम तर्कों में अपील ज्ञापन में लिये गये आधारों की तरह ही तर्क करते हुए स्वीकृत तथ्यों के अलावा यह बताया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के स्व० पिता झण्डासिंह जिनके जीवनकाल में ग्राम खरौआ के अलावा ग्राम खड़ेर में भी संपत्ति थी और उनके पिता द्वारा अपने जीवनकाल में खरीदवाई गई थी। किन्तु वादी/प्रत्यर्थी द्वारा ग्राम खरौआ की भूमि का ही दावे में उल्लेख किया है। अन्य ग्राम की भूमियों को छुपाते हुए दावा किया है। इसलिये वादी/प्रत्यर्थी न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आये हैं और इसी आधार पर उनका वाद निरस्त किये जाने योग्य है। किन्तु विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर कोई ध्यान नहीं दिया है। और मूल वाद को डिक्री करने में गंभीर विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की है जिससे आलोच्य निर्णय व डिक्री दिनांकित 25.11.14 पूरी तरह से अपास्त किये जाने योग्य है। वादी/प्रत्यर्थी द्वारा बंटवारे को चुनौती दी गई है लेकिन बंटवारे को फर्जी बताते हुए जो दावा किया गया उस बंटवारे की जानकारी वादी/प्रत्यर्थी को जानकारी कब हुई, इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। जबकि विवादित संपत्ति को लेकर पक्षकारों के मध्य विवाद वर्ष 2005 के पूर्व से ही चला आ रहा है। इसलिये दिनांक 28 जनवरी-2012 को बताया गया वाद कारण काल्पनिक है और विशुद्ध रूप से मूल वाद अवधि बाह्य है। क्योंकि घोषणात्मक वाद तीन वर्ष के भीतर नहीं किया गया है। बल्कि दिनांक 31.02.12 को पेश किया गया है। इसलिये वादी/प्रत्यर्थी का वाद अवधि

(शासक)

बाह्य होने के आधार पर भी निरस्ती योग्य है। जिससे विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने उचित रूप से निष्कर्षित नहीं किया है और वाद को अवधि भीतर मानकर गंभीर विधिक त्रुटि की है।

8. अपीलार्थी/प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह भी बताया है कि पक्षकारों के मध्य उनके स्व० पिता झण्डासिंह के जीवनकाल में ही घरू बंटवारा हुआ था और उसी अनुसार वह काबिज कास्त हुए थे। तथा घरू बंटवारे के आधार पर भी तहसील से भी बंटवारा हुआ था। वर्ष 1989-90 में ग्राम खरौआ की भूमियों का बंदोवस्त हुआ था और बंदोवस्त के समय वादी/प्रत्यर्थी ओंकारसिंह ने अपने रकवे में से डेढ़ बीघा भूमि उदयराज को बेच दी थी जिससे उसके रकवे में कमी आई है। इसलिये वह अपीलार्थीगण के हिस्से की भूमि में से बेईमानी करके भूमि लेना चाहता है। क्योंकि ओंकारसिंह ने अपनी संपूर्ण भूमि अपने साक्षी राजाभैया को विक्रय कर दी है और वास्तविकता में ओंकारसिंह मौके पर काबिज कास्त नहीं है बल्कि राजाभैया ही खेती कर रहा है। राजाभैया पूरे हिस्से का वयनामा ओंकारसिंह से चाहता है और वह ग्राम खरौआ की ही भूमि चाहता है। जबकि उदयराज को विक्रय करने के कारण वादी का रकवा कम हुआ था। पिता झण्डासिंह ने अपने जीवनकाल में ओंकारसिंह और तिलकसिंह के नाम से भूमि खरीदी थी और प्र०पी०-3 का वयनामा कराया था। जिसमें से ओंकारसिंह अपना हिस्सा तिलकसिंह को प्र०डी०-4 द्वारा विक्रय कर चुका है। ग्राम खरौआ में पानसिंह को इसलिये अधिक रकवा मिला है क्योंकि उसे ग्राम खड़ेर की भूमि में कोई हिस्सा नहीं मिला। और खड़ेर की भूमि ओंकारसिंह और तिलकसिंह को ही मिली थी। पिता के द्वारा तीनों भाईयों को समान रूप से भूमियाँ दी गई थीं। इसलिये विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है।

9. यह तर्क भी किया गया है कि वादी ने स्वत्व घोषणा और स्थाई निषेधाज्ञा के लिये तो मूल्यांकन करते हुए न्याय शुल्क अदा किया है किन्तु जिस बंटवारा पंजी को शून्य घोषित कराने की प्रार्थना चाही है उसके संबंध में कोई न्याय शुल्क अदा नहीं किया है और इस आधार पर भी डिक्री त्रुटिपूर्ण होकर निरस्त किये जाने योग्य है। इसलिये अपील स्वीकार की जाकर आलोच्य निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

10. वादी/प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में अपीलार्थी/प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों का खण्डन करते हुए मूलतः यह बताया गया है कि प्रकरण में विवाद ग्राम खरौआ की भूमि के संबंध में है जो अठारह बीघा बारह विस्वा है। जिस पर वादी एवं प्रतिवादीगण का समान रूप से 1/3, 1/3 हिस्सा है। किन्तु अपीलार्थी/प्रतिवादीगण ने राजस्व अधिकारी व कर्मचारियों से मिलकर गलत बंटवारा वादी/प्रत्यर्थी को कोई सूचना दिये वगैर पंचायत से करा लिया और तिलकसिंह ने छः बीघा आठ विस्वा, पानसिंह ने सात बीघा नौ विस्वा भूमि ले ली। ओंकारसिंह को केवल चारों बीघा पन्द्रह विस्वा भूमि ही दी जिसकी जानकारी होने पर उसके द्वारा एस०डी०ओ० न्यायालय गोहद में बंटवारा आदेश को चुनौती देते हुए अपील की गई थी किन्तु उसे अवधि बाह्य मानकर निरस्त कर दिया। गुणदोषों पर निराकरण नहीं हुआ जिसकी अपील अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना में की गई जिसमें बंटवारा दूषित पाया गया और उसे अपास्त किया गया है। जहाँ तक खड़ेर की भूमि का प्रश्न है, वह वादी ओंकारसिंह और प्रतिवादी

(शासकीय)

तिलकसिंह ने वयस्क होते हुए स्वयं खरीदी थी, पिता द्वारा नहीं खरीदवाई गई थी। न ही बेनामी समव्यवहार का कोई बिन्दु मूल वाद में उठाया गया है और न ही अपील ज्ञापन में उठाया गया है। तथा बेनामी समव्यवहार के संबंध में उठाई गई आपत्ति विधिक नहीं है। तथा प्रतिवादी/अपीलार्थीगण के द्वारा कोई प्रतिदावा भी नहीं किया गया है। जबकि वे यदि खड़े की भूमि पिता की होने का आधार लेते हैं तो उसे प्रतिदावा के माध्यम से उठाना चाहिए था जिस पर से साक्ष्य होकर जांच होती। इसलिये प्रतिदावा के अभाव में अपीलार्थी/प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क विधिसम्मत नहीं है।

11. यह तर्क भी किया गया है कि अपील में म्याद के संबंध में और न्याय शुल्क के संबंध में कोई चुनौती नहीं दी गई है तथा पिता के जीवनकाल में बंटवारे की कोई साक्ष्य नहीं है। बंटवारे के कार्यवाही कब प्रारंभ हुई, किस भूमि के संबंध में कब विवाद प्रारंभ हुआ, इस बारे में भी प्रतिवादीगण ने कोई साक्ष्य नहीं दी है तथा जो दस्तावेज पेश किये हैं उनमें प्र0डी0-1 व 2 के दस्तावेज कामतासिंह से चले विवाद के संबंध में हैं। बंटवारे के समय कौनसी भूमि कैसे आई, कैसे विक्रय हुई, इस बारे में भी कोई साक्ष्य नहीं दी है। वादी ओंकारसिंह ने राजाभैया को कोई भूमि विक्रय नहीं की है बल्कि राजाभैया केवल उसका साक्षी है और राजाभैया को भूमि विक्रय करने का कोई प्रमाण भी नहीं है बल्कि वह कब्जे का साक्षी है। मौके पर वादी/प्रत्यर्थी काबिज है और उसका स्वत्व है। वादी ने अपनी साक्ष्य के समर्थन में गांव के दो व्यक्तियों को स्वतंत्र साक्षी के रूप में पेश किया है जबकि प्रतिवादी की ओर से कोई समर्थनकारी साक्ष्य नहीं दी गई है। इसलिये विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का निष्कर्ष विधिसम्मत है और साक्ष्य पर आधारित है तथा अपील में कोई बल नहीं है इसलिये अपील सव्यय निरस्त की जावे।

12. खण्डन में अपीलार्थी/प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क भी रहा है कि वादी, प्रतिवादी की कमजोरी का लाभ नहीं ले सकता है और वादोत्तर में संशोधन के माध्यम से अभिवचन जोड़े गये हैं। वादी प्रतिवादीगण सभी का रकवा अंकित किया गया है। कमिश्नरी में अपील लंबित रहने का तथ्य वादी ने अपने अभिवचनों में अंकित नहीं किया था अन्यथा उसके संबंध में भी स्पष्टीकरण आता और मात्र दो बीघा का अंतर भूमि विक्रय करने के आधार पर है। यदि दोनों ग्रामों खरौआ व खड़े की भूमियों को जोड़ा जावे तो फिर कोई अंतर नहीं रहता है इसलिये अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जावे।

13. उभयपक्ष की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा साक्ष्य एवं विधि पर आधारित किये गये तर्कों पर चिंतन मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख एवं आलोच्य निर्णय का अध्ययन किया गया। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/प्रत्यर्थी का मूल वाद जो कि 1/3 हिस्से की सीमा तक डिक्री करते हुए ग्राम खरौआ तहसील गोहद स्थित विवादित भूमि जिसे वाद पत्र की कण्डिका-1 में वर्णित किया गया है, उसके 1/3 भाग का वादी को स्वामी घोषित करते हुए बंटवारा पंजी क्रमांक-5 आदेश दिनांक 04.04.06 को वादी/प्रत्यर्थी के मुकाबले शून्य घोषित करते हुए अपीलार्थी/प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित की गई है कि वादी/प्रत्यर्थी के 1/3 हिस्से से उसे वे न तो बेदखल करें न ही कोई

(शासक)

बाधा उत्पन्न की जावे। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आलोच्य निर्णय में वाद प्रश्न क्रमांक-5 के संबंध में मूल वाद में 20/-रुपये न्याय शुल्क की कमी बताई है। जो वादी/प्रत्यर्थी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में ही निर्णय दिनांक को अदा किये गये हैं तत्पश्चात डिक्री अंतिम की गई है।

14. प्रकरण में स्वीकृत तथ्यों के मुताबिक ग्राम खरौआ की भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के लिये पैतृक संपत्ति है। क्योंकि वह पूर्वज पिता से उन्हें प्राप्त होना बताई गई है। इस बिन्दु पर दोनों ही पक्षों में कोई विवाद की स्थिति नहीं है। तथा उभयपक्ष आपस में सगे भाई हैं और वे यह तो मानते हैं कि उनका पैतृकसंपत्ति में समान रूप से 1/3-1/3 भाग का हिस्सा है। किन्तु अपीलार्थी/प्रतिवादीगण की ओरसे यह आधार लिया गया है कि पिता झण्डासिंह द्वारा अपने जीवनकाल में ग्राम खड़ेर में प्रोडी0-3 तिलकसिंह और ओंकारसिंह के नाम से भूमि खरीदी गई थी जिसमें से पानसिंह को कोई हिस्सा नहीं मिला तथा ओंकारसिंह अपना हिस्सा तिलकसिंह को विक्रय कर चुका है तथा उसके द्वारा डेढ़ बीघा उदयराज को बेच दी। इस कारण उसका रकवा कम हुआ। इस बिन्दु को प्रमाणित करने का भार अपीलार्थी/प्रतिवादीगण पर रहेगा क्योंकि उक्त विशिष्ट तथ्य उनके द्वारा प्रकट किये गये हैं। हालांकि यह सही है कि सिविल वाद में प्रमाण भार वादी पर होता है और यह सुस्थापित विधि भी है कि वादी को अपना वाद स्वयं के सामर्थ्य से ही प्रमाणित करना होता है। वह प्रतिवादी की किसी कमजोरी का लाभ नहीं ले सकता है। इसलिये प्रकरण में मूल वाद जिन आधारों पर प्रस्तुत किया गया था उसका प्रमाण भार तो वादी/प्रत्यर्थी ओंकारसिंह पर ही रहेगा और उसे इस बात का कोई लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है कि खण्डन साक्ष्य में केवल तिलकसिंह अकेले की ही साक्ष्य कराई गई है अन्य कोई समर्थनकारी साक्ष्य नहीं है। क्योंकि यह सुस्थापित विधि है कि किसी तथ्य विशेष को प्रमाणित करने के लिये साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या विधि में अपेक्षित नहीं है। जैसा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा-134 में स्पष्ट प्रावधान भी है। इसलिये गुणदोषों पर विचार करते समय साक्षियों की संख्या नहीं देखी जाती बल्कि उनकी गुणवत्ता देखी जाती है कि किस साक्षी को किस बिन्दु पर कितनी सुदृढ़ जानकारी है और उसी आधार पर उसकी साक्ष्य का मूल्यांकन कर उसकी विषयवस्तु के संदर्भ में ग्राह्यता होती है।

15. जहाँ तक न्याय शुल्क संबंधी बिन्दु उठाया गया है, इस बाबत अपील ज्ञापन की कण्डिका-4 में आधार लिया गया है कि वादी द्वारा जो सहायता चाही गई उसी अनुरूप न्याय शुल्क अदा नहीं किया गया है। इस संबंध में प्रतिवादीगण के वादोत्तर के अभिवचनों के आधार पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद प्रश्न क्रमांक-5 निर्मित कर उसका निराकरण करते हुए आलोच्य निर्णय की कण्डिका-26 में यह निष्कर्ष दिया गया है कि विवादित संपत्ति कृषि भूमि है और जिसका लगान निर्धारित है। घोषणा के लिये लगान की बीस गुना राशि मूल्यांकित की गई है तथा स्थाई निषेधाज्ञा के लिये एक हजार रुपये का मूल्यांकन कर कुल 1512/-रुपये 20 पैसे का मूल्यांकन करते हुए स्वत्व घोषणा के लिये 500/-रुपये और स्थाई निषेधाज्ञा के लिये 100/-रुपये का निश्चित न्याय शुल्क अदा किया है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने यह भी निष्कर्षित किया है कि बंटवारा पंजी को शून्य घोषित कराने की जो सहायता चाही गई है उसे पारिणामिक सहायता बताया गया है। वाद व्यवहार

(शासक)



न्यायाधीश वर्ग-2 के न्यायालय में पेश किया गया है जिसके लिये घोषणा के लिये निश्चित न्याय शुल्क 500/-रुपये, स्थाई निषेधाज्ञा के लिये 100/- रुपये है क्योंकि पांच लाख रुपये से कम मूल्यांकन की दशा में न्यूनतम 12 प्रतिशत सौ रुपये के अध्याधीन रहते हुए न्याय शुल्क देय होता है इसलिये घोषणात्मक डिक्री बाबत तो न्याय शुल्क सही पाया है। स्थाई निषेधाज्ञा के लिये न्याय शुल्क अधिनियम की धारा-7(4)(घ) के अनुसार मूल्यांकन एक हजार रुपये पर प्रथम अनुसूची अनुसार 12 प्रतिशत के मान से 120 रुपये बनता है। इस आधार पर 20 रुपये न्याय शुल्क जो कम पाया था वह उचित है।

16. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बंटवारा पंजी को दी गई चुनौती के संबंध में पृथक से न्याय शुल्क और मूल्यांकन किये जाने का बिन्दु उठाया गया है जबकि मूल वाद हक के आधार पर पेश किया गया है। ऐसी स्थिति में जहाँ हक का बिन्दु उत्पन्न हो वहाँ उसके अनुक्रम में अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियाँ पारिणामिक स्वरूप की होती हैं और स्वत्व घोषणा के प्रभाव में अध्याधीन रहती हैं। ऐसी स्थिति में पारिणामिक स्वरूप की सहायताओं के लिये मूल्यांकन करने और उस पर न्याय शुल्क अदा करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। इस कारण विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बंटवारा पंजी को शून्य घोषित कराने के संबंध में चाही गई सहायता को पारिणामिक स्वरूप की मानते हुए उसके संबंध में पृथक से वाद मूल्यांकन एवं न्याय शुल्क की आवश्यकता न होना निष्कर्षित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है इसलिये इस बिन्दु पर अपीलार्थी/प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाई गई आपत्ति विधिक नहीं मानी जा सकती है और उसे ग्राह्य नहीं किया जा सकता है। फलतः वाद प्रश्न क्रमांक-5 के संबंध में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का निष्कर्ष विधिसम्मत मानते हुए उसे यथावत रखा जाता है और यह निष्कर्षित किया जाता है कि वाद मूल्यांकन और न्याय शुल्क में कोई त्रुटि वादी द्वारा नहीं की गई है।

17. अपीलार्थी/प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समयावधि का भी बिन्दु अधिक प्रबलता के साथ उठाया गया है। जो वादोत्तर के अभिवचनों के आधार पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद प्रश्न क्रमांक-4 के रूप में निर्मित किया गया था जिसे विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य निर्णय की कण्डिका-25 के अनुसार वाद को समयावधि के भीतर मानते हुए उक्त वाद प्रश्न को अप्रमाणित निष्कर्षित किया है और उत्पन्न वाद कारण के आधार पर तीन वर्ष की म्याद के भीतर माना है। इस बिन्दु पर अपीलार्थी/प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मूलतः यह तर्क किया गया है कि पक्षकारों के मध्य विवाद वर्ष 2005 के पूर्व से चला आ रहा है इसलिये बंटवारे की जानकारी पर से जो वाद कारण उत्पन्न होना बताया गया है वह प्रमाणित नहीं है क्योंकि राजस्व न्यायालयों में काफी पहले से कार्यवाहियाँ चलती रही हैं। जिसका प्रमाण प्र0डी0-1 का दस्तावेज होना भी प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया है जबकि वादी/प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि बिना सूचना, बिना जानकारी, बिना इशतिहार जारी हुए बंटवारे की कार्यवाही दूषित रूप से हुई थी और जानकारी मिलने पर एस0डी0ओ0 को अपील की गई थी फिर अपर आयुक्त चंबल संभाग में भी अपील की गई क्योंकि एस0डी0ओ0 ने अपील को गुण-दोषों पर नहीं सुना और अवधि बाह्य मानकर निरस्त कर दिया इसलिये जब से बंटवारे की जानकारी हुई तभी से कार्यवाहियाँ प्रारंभ हुई हैं। प्र0डी0-1 को आधार नहीं

(शासक)

बनाया जा सकता है क्योंकि वह कामता प्रसाद से संबंधित हैं।

18. मूल वाद हक के आधार पर स्वत्व घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा के लिये प्रस्तुत किया गया है और स्थावर संपत्ति से संबंधित है। परिसीमा अधिनियम 1963 की अनुसूची के भाग-3 अनुच्छेद-58 के मुताबिक घोषणात्मक स्वरूप के वाद के लिये तीन वर्ष की म्याद उस समय से बताई गई है जब वाद लाने का अधिकार प्रथम बार प्रौद्भूत होता है। मूल वाद में वादी/प्रत्यर्थी के द्वारा वाद कारण दिनांक 28 जनवरी-2012 के उस समय का बताया गया है जब विवादित भूमि से वादी को प्रतिवादीगण द्वारा बेदखल करने, फसल काटने एवं विक्रय करने की धमकी दी गई जिसके संबंध में वादी/प्रत्यर्थी के द्वारा पूर्व में धारा-80 सीपीसी के तहत नोटिस भी राज्य शासन को दिनांक 29.01.12 को रजिस्टर्ड डांक से दिया जाना बताया गया है जिसका प्रतिवेदन प्र0पी0-1 का नोटिस और प्र0पी0-2 उसकी रजिस्ट्री की रसीद से भी होता है जिनका कोई खण्डन नहीं हुआ है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आलोच्य निर्णय की कण्डिका-25 में यह भी स्पष्ट किया है कि यदि वाद कारण दिनांक 15.12.11 को एस0डी0ओ0 द्वारा वादी/प्रत्यर्थी की की गई अपील को निरस्त करने के दिनांक से भी मान लिया जावे तो भी तीन वर्ष के भीतर वाद होने से अवधि अंदर हैं

19. अभिलेख पर इस बिन्दु के संदर्भ में जो अन्य दस्तावेज हैं उनमें प्र0पी0-6 के रूप में अपर आयुक्त चंबल संभाग में दिनांक 21.12.12 का वह आदेश है जो वादी ओंकारसिंह की ओर से एस0डी0ओ0 गोहद से प्र0क0-62/2009-2010/अ0मा0 में दिनांक 15.12.11 को उसकी अपील अवधि बाह्य मानते हुए प्रारंभिक स्तर पर निरस्त की गई। जो एस0डी0ओ0 का आदेश प्र0डी0-2 के रूप में प्रतिवादीगण की ओर से अभिलेख पर पेश किया गया है जिससे यह स्पष्ट है कि वादी/प्रत्यर्थी ओंकारसिंह द्वारा बंटवारे के संबंध में ग्राम पंचायत खरौआ की नामांतरण पंजी क्र0-5 में दि0-04.04.06 को पारित आदेश की अपील की गई थी जो कि विवाद की मूल जड़ है। एस0डी0ओ0 द्वारा उस अपील को अवधि बाह्य इस आधार पर माना कि ओंकारसिंह को बंटवारा आदेश दिनांक 04.04.06 की जानकारी दिनांक 26.08.10 से है क्योंकि उसकी अपील दिनांक 31.08.10 को की गई थी और यह माना कि ओंकारसिंह के द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य बंटवारे की जानकारी होने के दिनांक के संबंध में पेश नहीं किया गया है। किन्तु प्र0डी0-2 के आदेश को मर्यादा के संबंध में इस लिये आधारभूत दस्तावेज नहीं माना जा सकता है क्योंकि वह आदेश वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है और अपर आयुक्त चंबल संभाग द्वारा प्र0पी0-6 मुताबिक उसे अपास्त किया जा चुका है। तथा अपर आयुक्त द्वारा अपने प्र0पी0-6 के आदेश में यह निष्कर्ष दिया था कि विभाजन का आदेश नामांतरण पंजी पर नहीं किया जा सकता है न तो पंजी पर न ही इशतिहार संलग्न किया गया है न ही पंजी में किये गये फर्द बंटवारे का प्रकाशन होने का प्रमाण संलग्न किया गया है। विभाजन सूची केवल पटवारी द्वारा हस्ताक्षरित आक्षेप आमंत्रित करने हेतु सूची प्रकाशित नहीं की गई। तथा समझौता और पंचनामा भी संयुक्त खातेदारों के हस्ताक्षरित नहीं है। ऐसे में विभाजन सूची और समझौता पर विभाजन अवैध माना तथा धारा-178 एम0पी0एल0आर0सी0 के प्रावधानों के अनुसरित न होने से बंटवारे को शून्य घोषित किया गया। इसलिये एस0डी0ओ0 को जो अपील क्रमांक-62/2009-10 को आधार नहीं माना जा सकता है और बंटवारे

(शासक)



के लिये कोई म्याद निश्चित नहीं है।

20. विचाराधीन मामले के पक्षकारों के मध्य निर्विवादित इस बिन्दु को देखते हुए कि तीनों ही पक्षकार अर्थात् वादी एवं प्रतिवादीगण स्व० झण्डासिंह की संतानें होकर आपस में सगे भाई हैं और उनका समान रूप से पैतृकसंपत्ति में 1/3-1/3 भाग का हिस्सा है। इसलिये वाद अवधि बाह्य नहीं माना जा सकता है। प्र०डी०-1 को मर्यादा के बिन्दु पर आधारभूत दस्तावेज इसलिये भी नहीं माना जा सकता है कि वह ग्राम खरौआ की भूमि के संबंध में चले विवाद से संबंधित अवश्य था किन्तु वह ग्राम पंचायत खरौआ की नामांतरण पंजी क्रमांक-42 में ठहराव क्रमांक-13 में पारित आदेश दिनांक 05.06.04 पर आधारित था जिसमें मूल विवाद तिलकसिंह और कामता प्रसाद के पुत्रगण उदयराज आदि के मध्य का था और उसे भी अपर आयुक्त द्वारा अपील स्वीकार कर ग्राम पंचायत के विभाजन आदेश दिनांक 05.06.04 तथा उसके संबंध में एस०डी०ओ० का आदेश दिनांक 04.10.04 को विधिसम्मत न होने से निरस्त किया था। ऐसी स्थिति में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल वाद मर्यादा भीतर मानकर वाद प्रश्न क्रमांक-4 को वादी/प्रत्यर्थी के पक्ष में निष्कर्षित करने में कोई विधिक त्रुटि किया जाना नहीं पाया जाता है और तिलकसिंह प्र०सा०-1 के मात्र यह कह देने से कि वादी ने दावा एवं बंटवारे के विरुद्ध की गई अपील पर से पेश की है उसके आधार पर वाद अवधि बाह्य नहीं माना जा सकता है।

21. जहाँ तक पक्षकारों के असंयोजन के दोष का प्रश्न है, उसके संबंध में वादोत्तर की कण्डिका-3 में जोड़ा गया अभिवचन कि वादी ने सर्वे नंबर-1841 रकवा 0.16 स्थित मौजा खरौआ के कदमसिंह पुत्र दाताराम भाग 1/2, तिलकसिंह, ओंकारसिंह एवं पानसिंह पुत्रगण झण्डासिंह हिस्सा 1/2 की अन्य भूमि और है जिसे वादी ने वाद पत्र में छुपाया है। उसे प्रतिदावे की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। क्योंकि प्रतिदावे के लिये भी मूल्यांकन किया जाना और न्याय शुल्क अदा किया जाना अनिवार्य है। उक्त अभिवचन के आधार पर पक्षकारों के असंयोजन बाबत वाद प्रश्न क्रमांक-7 निर्मित किया गया था। उसे विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य निर्णय में निष्कर्षित करते हुए प्रमाणित नहीं माना है और प्रकरण के लिये कमलसिंह पुत्र दाताराम आवश्यक पक्षकार था। इसका प्रमाण भार प्रतिवादी/अपीलार्थीगण पर था। किन्तु इस संबंध में कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर नहीं आई है। इसलिये संशोधन के माध्यम से वादोत्तर में जोड़ा गया अभिवचन साक्ष्य के अभाव में प्रमाणित नहीं होता है। तथा मामले में ग्राम खरौआ की भूमि जिसे वाद पत्र की कण्डिका-1 में अंकित किया गया है, उसके संबंध में विवाद की स्थिति है और झण्डासिंह के वारिसान के मध्य हिस्से को लेकर और हिस्से में प्राप्त रकवे को लेकर विवाद है। ऐसे में सहखातेदार आवश्यक पक्षकार नहीं माना जा सकता है। वादोत्तर में कमलसिंह के संबंध में जोड़े गये अभिवचनों के संबंध में कोई दस्तावेज भी ऐसा प्रस्तुत नहीं है जिससे आवश्यक पक्षकारों का असंयोजन माना जा सके। ऐसे में वाद प्रश्न क्रमांक-7 को भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रमाणित न मानकर कोई विधिक त्रुटि नहीं की है।

22. जहाँ तक मूल अपील का प्रश्न है, उसके संबंध में अभिलेख पर उभयपक्ष की ओर से मौखिक और दस्तावेजी दोनों प्रकार की साक्ष्य पेश की गई हैं, इसलिये संपूर्ण

(शासकीय)

साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना होगा कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल वाद डिक्री करने में विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों और अभिलेख पर आई साक्ष्य का उचित रूप से मूल्यांकन कर निष्कर्ष निकाले हैं अथवा नहीं? क्योंकि अपीलार्थीगण की ओर से यह आधार भी लिया गया है कि उनकी ओर से प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने कोई निष्कर्ष नहीं निकाला और प्र०डी०-3 व 4 के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय मौन है।

23. इस संबंध में अभिलेख पर वादी/प्रत्यर्थी ओंकारसिंह की ओर से जो साक्ष्य पेश की गई है उसमें स्वयं ओंकारसिंह वा०सा०-1 के द्वारा अपने अभिवचनों के अनुरूप मुख्य परीक्षण के अभिसाक्ष्य में मूलतः यह कहा गया है कि ग्राम खरौआ तहसील गोहद में कुल 18-19 बीघा भूमि है जो उसकी एवं प्रतिवादी तिलकसिंह और पानसिंह की संयुक्त पैतृकसंपत्ति है उसमें उसका 1/3 भाग का समान हिस्सा है। उसी अनुसार वह काबिज होकर खेती कर रहा है तथा अभी तक कोई बंटवारा नहीं हुआ है। किन्तु तिलकसिंह और पानसिंह ने बेईमानी से उसके हिस्से की भूमि को हड़पने के लिये तथा उन्नत भूमि को बेईमानी से प्राप्त करने और ऊबड़-खावड़ भूमि को उसके हिस्से में देने की पटवारी मौजा से सांठगांठ करते हुए उसकी अनुपस्थिति में बंटवारा कराकर अपने हिस्से में अधिक भूमि व उन्नत भूमि दर्ज करा ली और उसके हिस्से में ऊबड़-खावड़ भूमि और कम भूमि दर्ज कराई। यह भी कहा गया है कि इसी साजिश के तहत तिलकसिंह ने साढ़े छः बीघा पानसिंह ने साढ़े सात बीघा भूमि अपने नाम करा ली और उसके नाम मात्र पौने पांच बीघा भूमि ही अंकित हुई। क्योंकि वह पढ़ा लिखा नहीं है, केवल हस्ताक्षर करना जानता है और सगे भाई होने से वह तिलकसिंह पर विश्वास करता रहा। जब उसके हिस्से को समाप्त करने के उद्देश्य से विक्रय की बात गांव में की गई तब उसे फर्जी और साजिशी बंटवारे के संबंध में पटवारी से संपर्क करने पर जानकारी हुई। फिर उसने एस०डी०ओ० को बंटवारा निरस्त कराने की अपील की। जो प्रतिवादीगण की सांठ गांठ से निरस्त हो गई जिससे प्रतिवादीगण के हौसले और बुलंद हो गये और उन्होंने उसके हिस्से की फसल काटने और बेदखल करने की धमकी भी दी जिससे उसे दावा करना पड़ा जिसका समर्थन करते हुए राजाभैया वा०सा०-2 और पूरनसिंह वा०सा०-3 ने वादी ओंकारसिंह का 1/3 हिस्से पर काबिज कास्त देखना भी बताया है। जो ग्राम खरौआ का ही निवासी है।

24. वादी की ओर से प्र०पी०-1 लगायत 7 के दस्तावेज पेश करते हुए अपने अभिसाक्ष्य में यह भी कहा है कि ग्राम खरौआ के अलावा अन्य मौजा में उसके पिता की जमीन नहीं थी। पिता की मृत्यु के बाद उसका अपने भाई के साथ कब नामांतरण हुआ, इसकी भी उसे जानकारी नहीं है। पिता के जीवनकाल में वे सब सह खातेदार के रूप में थे। पिता के अन्य सह खातेदारों के साथ कुल कितनी जमीन थी, तथा उसके पिता व अन्य सह खातेदारों में बंटवारा कब हुआ, इसकी भी उसे जानकारी नहीं है। यह भी कहा है कि उसके पिता द्वारा अपने जीवनकाल में उसके या प्रतिवादीगण के नाम पर किसी भी मौजा में कोई जमीन नहीं खरीदी गई थी। जबरसिंह पुत्र देवलाल से सन् 1985 में पिता के द्वारा उसके व तिलकसिंह के नाम से जमीन खरीदे जाने से इन्कार करते हुए उसने स्वयं खरीदना बताया है। यह भी कहा है कि बंटवारे में कम व ऊबड़-खावड़ जमीन कितनी है, इसके बारे में उसे जानकारी

(शासकीय)

नहीं है। न ही उसे विवादित जमीन के साथ अन्य सह खातेदारों की कोई जानकारी है। एस0डी0ओ0 के यहाँ वर्ष 2009 में अपील किये जाने के बारे में भी उसे ध्यान नहीं है। इस बात से उसने इन्कार किया है कि पिछले दस वर्षों से राजाभैया उसके हिस्से की भूमि पर काबिज होकर खेती कर रहा है तथा पंचायत में बंटवारा होने और उस बंटवारे में हस्ताक्षर करने से इन्कार करते हुए वह यह कहता है कि फर्जी हस्ताक्षर थे।

25. राजाभैया वा0सा0-2 ने भी अपने अभिसाक्ष्य में ओंकारसिंह का जमीन पर काबिज होकर खेती करने तथा उसके हिस्से की जमीन खरीद लेने से इन्कार करते हुए यह कहा है कि ओंकारसिंह के खेतों को वह ट्रैक्टर से भाड़े पर जोतता है। झण्डासिंह के द्वारा तिलकसिंह और ओंकारसिंह के नाम से कोई जमीन खरीदी गई या ओंकारसिंह ने तिलकसिंह को अपने हिस्से की कोई जमीन बेची, इस बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। उसने ओंकारसिंह के साथ आकर गवाही देने की बात अवश्य स्वीकार की है। इसी प्रकार तिलकसिंह वा0सा0-3 का भी साक्ष्य आया है जिसने अपने अभिसाक्ष्य में यह भी बताया है कि झण्डासिंह पर कुल 18 बीघा जमीन थी। तिलकसिंह व कामता के बीच तथा वादी ओंकारसिंह और प्रतिवादी पानसिंह से बंटवारे का कोई मामला चला था और उसमें तिलकसिंह जीत गया था, इस बारे में उसे जानकारी नहीं है। उसने स्वयं की जमीन के संबंध में यह कहा है कि उसके पास 18-19 बीघा जमीन है और वह पांच भाई हैं, और उनका बंटवारा नहीं हुआ है। शामिलत खेती होती है लेकिन रहते अलग हैं। उसने भी ओंकारसिंह का विवादित भूमि पर स्वयं खेती करना बताया है तथा यह कहा है कि उसे ओंकारसिंह ने दो तीन साल पहले यह जानकारी दी थी कि तिलकसिंह और पानसिंह ने उसकी जमीन का वयनामा करा लिया और ऊबड़-खावड़ जमीन उसे दे दी है यह बात पूरन ने दिनांक 03.05.15 को दिये कथन में बताई है। अर्थात् बंटवारे की जानकारी उसके हिसाब से भी वर्ष 2010-11 के दरम्यान ही होना वह बताता है। उसने यह भी कहा है कि झण्डासिंह की मृत्यु को सात आठ साल हो गये हैं और वादी/प्रतिवादी अपने अपने भाग पर खेती कर रहे हैं तथा अलग-अलग रहते हैं। उनका बंटवारा कागजों में नहीं हुआ है। अंत में उसने शामिल खेती करने की बात कही है।

26. इस संबंध में प्रतिवादी तिलकसिंह प्र0सा0-1 ने अपने मुख्य परीक्षण के अभिसाक्ष्य में मूलतः यह बताया है कि वादी का विवादित भूमि में 1/3 हिस्सा नहीं है क्योंकि वादी ओंकारसिंह को पिता झण्डासिंह ने अपने जीवनकाल में मौजा खड़ेर में कुछ भूमि खरीदकर उसके नाम कर दी थी इसलिये मौजा खरौआ की जमीन का जो बंटवारा हुआ है वह सही हुआ है और सबको सही हिस्से मिले हैं। ओंकारसिंह ने आठ विस्वा भूमि के सर्वे को वाद पत्र में नहीं दर्शाया है और उसे छुपा लिया है। बंदोवस्त के समय ओंकार ने डेढ़ बीघा भूमि उदयराज को बेच दी थी इसलिये उसे बंटवारे में कम रकवा मिलना स्वाभाविक है। विधिवत बंटवारे के अनुसार ही राजस्व कागजात में अमल हुआ है। इसी कारण एस0डी0ओ0 गोहद को की गई बंटवारे की अपील निरस्त हुई है तथा अपर आयुक्त ने इस बिन्दु को नहीं देखा और एस0डी0ओ0 के आदेश को निरस्त कर दिया जिसकी राजस्व मण्डल में अभी भी अपील लंबित है। तथा सभी अपने अपने हिस्से पर काबिज हैं तथा ओंकारसिंह ने अपने हिस्से की भूमि को राजाभैया को भौतिक रूप से विक्रय कर दी है और प्रतिफल राशि प्राप्त कर ली है तथा मौके पर काबिज नहीं है। राजाभैया ही खेती करता है। केवल विक्रय पत्र की

(शासक)

लिखापढी शेष रह गई है। राजाभैया के मन में बदयांति आ गई है इसलिये वह लालचवश बंटवारे को निरस्त करकर पुनः बंटवारा कराकर अधिक जमीन लेना चाहता है। तिलकसिंह ने प्र०डी०-३ व ४ के वयनामों को इस संबंध में प्रस्तुत करते हुए प्रतिपरीक्षण के पैरा-५ में यह तो स्वीकार किया है कि विवादित भूमि पैतृक है। लेकिन वह इस बात से इन्कार करता है कि पिता झण्डासिंह की मृत्यु के बाद तीनों को विवादित भूमि में बराबर बराबर हिस्सा प्राप्त हुआ। उसने सन् १९९३ में पिता की मृत्यु होना स्वीकार करते हुए यह कहा है कि ओंकारसिंह का हिस्सा खड़ेर मौजा में भी है इसलिये खरौआ मौजे में उसे कम जमीन मिली है। इस बात से उसने इन्कार किया है कि उसने और पानसिंह ने अधिक रकवा ले लिया है और ओंकारसिंह को कम दिया है।

27. खरौआ मौजे की जमीन के नामांतरण के संबंध में उसका यह कहना है कि पिता की मृत्यु के बाद करीब एक साल बाद हुआ था और नामांतरण होने पर किताब मिली थी तथा नामांतरण समान रूप से हुआ था। नामांतरण के खिलाफ उसने कोई कार्यवाही नहीं की। बंटवारे के संबंध में जो पूर्व में प्रकरण चला था वह कब चला, कितने वर्ष हो गये हैं, इसकी उसे जानकारी नहीं है। इस बात से इन्कार किया है कि उसने और पानसिंह ने बंटवारा पंचायत में ओंकारसिंह की जानकारी के बिना कम रकवा देते हुए करा लिया और उसमें ओंकारसिंह ने कोई सहमति नहीं दी। न उसके कोई हस्ताक्षर हुए। इस बात से भी इन्कार किया है कि फर्जी तौर पर उसने बंटवारा कराया था। इसी कारण कमिश्नर ने उसे निरस्त कर दिया है।

28. तिलकसिंह प्र०सा०-१ ने पैरा-११ में यह कहा है कि पिताजी के समय से जो भूमि बंटी थी उसी अनुसार तहसीलदार ने कागजों में इन्द्राज किया था। उसके खसरा खतौनी की नकलें प्रकरण में पेश नहीं की हैं। पैरा-११ में वह चार भाई होने की बात बताता है जबकि पक्षकारों के रूप में तीन ही भाई हैं। चौथा कौन था इस बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है। पैरा-१२ में वह यह भी कहता है कि कमिश्नर के यहाँ जो कार्यवाही चली थी उसके बाद तहसीलदार के यहाँ कार्यवाही चली थी। वहाँ उनका आपसी सहमति के आधार पर तहसीलदार ने बंटवारा कर दिया था। प्र०डी०-३ के संबंध में पैरा-१३ में उसका यह कहना है कि जबरसिंह से जो जमीन खरीदी गई थी उसने या ओंकारसिंह ने नहीं खरीदी। लेकिन वह स्वतः में पैसे स्वयं देना कहता है और ओंकार से उसने कब जमीन खरीदी, यह उसे याद नहीं है। काफी समय हो गया है। वे अलग-अलग कब से रह रहे हैं, इसके बारे में उसका यह कहना रहा है कि पिता के समय से ही बंटवारा हो गया था और अलग-अलग हो गये थे। पैरा-१५ में उसने मौजा खड़ेर के संबंध में यह कहा है कि खड़ेर में उसके पास तीन बीघा सोलह विस्वा भूमि थी जो बंदोवस्त में चार बीघा और कुछ विस्वा हो गयी है। तथा खड़ेर मौजा की जमीन का पिता के समय ही ओंकारसिंह को हिस्सा दे दिया गया था। पैरा-१७ में यह कहा है कि पिता के समय बंटवारा नहीं हुआ था बल्कि पिताजी के पहले से ही खेती बंटी हुई है और उसी हिसाब से खेती कर रहे हैं। पैरा-१७ के अंत में उसने स्वतः यह कहा है कि पिता के समय से ही उनकी खेती अलग-अलग है।

29. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल विवाद एवं सहायता से संबंधित निर्मित किये गये वाद प्रश्न क्रमांक-१ लगायत ३ को अपने आलोच्य निर्णय में वादी/प्रत्यर्थी

(शासकीय)

ओंकार के पक्ष में निर्णीत करते हुए उन्हें प्रमाणित पाया है। अभिलेख पर जो साक्ष्य आई है उससे इस बिन्दु पर कोई दो मत नहीं हैं कि प्रकरण में ग्राम खरौआ की जो भूमि वाद पत्र की कण्डिका-1 में वर्णित की गई है और विवादित बताई है वह भूमि पक्षकारों के लिये पैतृकसंपत्ति है क्योंकि उनके पिता से उन्हें उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है। अपीलार्थी/प्रतिवादीगण का मूल आधार यही रहा है कि पिता ने अपने जीवनकाल में तिलकसिंह और ओंकारसिंह के नाम से जबरसिंह से ग्राम खरौआ के सर्वे क्रमांक-939/1, 939/2 रकवा 0.774 है० की भूमि खरीदी थी। इस कारण जो बंदोवस्त विवादित भूमि के संबंध में हुआ उसमें वादी ओंकारसिंह को कम भूमि प्राप्त हुई जिसके समर्थन में प्र०डी०-3 का विक्रय पत्र दिनांकित 19.06.85 का अवलोकन करने पर उसमें कहीं भी ऐसा आभाष नहीं मिलता है कि वह वयनामा तिलकसिंह और ओंकारसिंह के नाम से उनके पिता स्व० झण्डासिंह द्वारा प्रतिफल अदा करते हुए कराया गया हो बल्कि क्रेतागण के रूप में तिलकसिंह और ओंकारसिंह प्र०डी०-3 के वयनामा के समय वयस्क होकर तिलकसिंह 25 वर्षीय एवं ओंकारसिंह 22 वर्षीय होना बताया गया है। प्रतिफल के संबंध में इस आशय का स्पष्ट उल्लेख है कि क्रेतागण से विक्रेता ने प्रतिफल राशि उपपंजीयक कार्यालय के बाहर प्राप्त कर ली है। तथा प्र०डी०-3 के वयनामा के समय झण्डासिंह की उपस्थिति भी दर्शित नहीं होती है। इस बिन्दु पर कोई खण्डन साक्ष्य नहीं है।

30. प्र०डी०-3 का वयनामा झण्डासिंह ने प्रतिफल अदा करते हुए कराया था क्योंकि इस बिन्दु को प्रमाणित करने का भार अपीलार्थी/प्रतिवादीगण पर था कि वह यह प्रमाणित करते कि उक्त वयनामा पिता द्वारा उनके नाम से कराया गया था। प्र०डी०-3 के अनुप्रमाणक साक्षियों में रामप्रसादसिंह और उम्मेदसिंह थे उनमें से किसी को इस बिन्दु पर साक्ष्य के लिये प्रस्तुत नहीं किया। प्र०सा०-1 ने पैरा-17 में यह स्वीकारोक्ति की है कि पिता के समय बंटवारा नहीं हुआ। लेकिन पिता के पहले से ही खेती बटी हुई थी और उसी हिसाब से खेती कर रहे हैं तथा पिता के समय से खेती अलग-अलग है। जो बंटवारे की कार्यवाही ग्राम पंचायत में होना बताई गई है उससे संबंधित कोई भी दस्तावेज प्रकरण में पेश नहीं है। जिस बंटवारा पंजी पर से विवाद है अर्थात् बंटवारा पंजी क्रमांक-5 आदेश दिनांक 04.04.06 से संबंधित दस्तावेज इस आशय का प्रस्तुत नहीं हुआ है जिससे वादी/प्रत्यर्थी ओंकारसिंह की बंटवारे की कार्यवाही में उपस्थिति हो और उसके कोई हस्ताक्षर सहमति के हुए हों। अभिलेख पर ऐसी भी कोई साक्ष्य नहीं आई है कि बंदोवस्त के समय वादी/प्रत्यर्थी ओंकारसिंह द्वारा उदयराज नामक किसी व्यक्ति को कोई भूमि विक्रय की गई हो। जबकि प्रत्यर्थी/प्रतिवादी डेढ़ बीघा भूमि उदयराज को भी ओंकारसिंह द्वारा विक्रय करना बताकर आये हैं जिसका कोई प्रमाण नहीं है तथा ऐसा भी कोई प्रमाण पेश नहीं किया गया है कि बंटवारे में ओंकारसिंह को कम रकवा ग्राम खड़ेर की भूमि पिता द्वारा खदीदवाये जाने के आधार पर कम प्राप्त हुई तथा पानसिंह एवं तिलकसिंह को अधिक प्राप्त हुई।

31. प्र०डी०-4 के वयनामा से यह अवश्य दर्शित होता है कि ओंकारसिंह ने प्र०डी०-3 के मुताबिक तिलकसिंह के साथ मिलकर जो भूमि कय की थी उसमें से अपना हिस्सा प्र०डी०-4 मुताबिक तिलकसिंह को बेचा था और वह वयनामा भी दिनांक 29.12.89 का है और निर्विवादित रूप से पिता झण्डासिंह की मृत्यु वर्ष 1993 में हुई

(शासकी)

है। अर्थात् दोनों वयनामों के समय पिता झण्डासिंह जीवित थे। यदि पिता द्वारा प्र०डी०-३ का वयनामा कराया गया था तो फिर प्र०डी०-४ का वयनामा कराने की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसका कोई स्पष्टीकरण अपीलार्थीगण की ओर से अभिलेख पर नहीं आया है। इसलिये प्र०डी०-३ एवं ४ के आधार पर यह निष्कर्षित नहीं हो सकता है कि ओंकारसिंह को पिता द्वारा कोई भूमि खरीदवाई गई थी जिसकी वजह से विवादित भूमि में से उसको रकवा कम प्राप्त होगा। जबकि जो राजस्व अभिलेख प्रकरण में वादी/प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत किया गया है उसमें प्र०पी०-३ वर्ष २०११-१२ का खसरा प्र०पी०-४, उसकी किस्तबंदी खतौनी में वादी ओंकारसिंह का इन्द्राज भूमिस्वामी का है। प्र०पी०-५ के रूप में पंचशाला खसरा संवत् २०५६-२०६० के रूप में पेश है जिसमें तीनों भाई अर्थात् ओंकारसिंह, तिलकसिंह और पानसिंह का इन्द्राज होकर बंटवारे का उल्लेख है और प्र०पी०-७ के रूप में जो भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका पेश हुई है उसमें भी तीनों भाईयों की प्रविष्टि विवादित भूमि के संबंध में समान रूप से है जिसके संबंध में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपने आलोच्य निर्णय में निष्कर्ष दिया है। इन दस्तावेजी साक्ष्य एवं प्रकरण के उत्पन्न तथ्य परिस्थितियों और स्वीकृत बिन्दुओं को देखते हुए वादी एवं प्रतिवादीगण का विवादित भूमि में समान रूप से १/३, १/३ भाग का हिस्सा होना ही स्थापित होता है। ऐसी स्थिति में जो बंटवारा आदेश दिनांक ०४.०४.०६, बंटवारा पंजी क्रमांक-५ के रूप में हुआ है उसकी विधिक मान्यता नहीं रह जाती है। क्योंकि यह सुस्थापित सिविल प्रथा है कि प्रत्येक सिविल मामले का निराकरण प्रबल संभावनाओं के संतुलन के आधार पर किया जाता है जैसा कि न्याय दृष्टांत **हसमत राय विरुद्ध रघुनाथ प्रसाद १९८२ एम०पी०आर०सी०जे० पेज-१** में प्रतिपादित सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। इसलिये विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बंटवारा पंजी का आदेश शून्य घोषित करने और वादग्रस्त भूमि में वादी/प्रत्यर्थी का १/३ भाग का स्वामित्व घोषित करने में कोई विधिक त्रुटि किया जाना परिलक्षित नहीं होता है। प्र०डी०-३ व ४ के संबंध में जो आपत्तियाँ अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाई गई हैं, उन्हें उक्त अनुसार निष्कर्षित करने पर भी कोई निष्कर्ष अपीलार्थी/प्रतिवादी के पक्ष में प्राप्त नहीं होता है।

32. अभिलेख पर घरू बंटवारे की भी कोई प्रास्थिति प्रकट नहीं है कि पक्षकारों के मध्य उनके स्व० पिता झण्डासिंह के जीवनकाल में कोई बंटवारा हुआ हो। बंटवारा पंजी क्र०-५ आदेश दि०-०४.०४.१६ का बंटवारा अपर आयुक्त से भी शून्य निष्कर्षित किया जा चुका है। वर्तमान में उसका अस्तित्व नहीं है। हालांकि राजस्व मण्डल ग्वालियर के समक्ष कार्यवाही लंबित होना अपीलार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा बताई गई है। किन्तु उससे संबंधित कोई प्रमाण अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं है। और बंटवारा आदेश के अस्तित्व में न होने पर यह स्थिति निर्मित होगी कि पक्षकारों के मध्य विवादित भूमि के संबंध में कोई वैध बंटवारा नहीं है।

33. अपीलार्थी/प्रतिवादीगण की ओर से इस संबंध में कोई प्रतिदावा भी पेश नहीं किया गया है कि वादी/प्रत्यर्थी ने अपने १/३ हिस्से में किसी भूमि को बेचा हो या उदयरज को भूमि विक्रय करने के आधार पर और प्र०डी०-३ व ४ के आधार पर बंटवारा पंजी का आदेश सही है न इस संबंध में दस्तावेजी प्रमाण पेश हैं। ऐसे में अपीलार्थी/प्रतिवादीगण के लिये गये आधार सुदृढ़ नहीं रह जाते हैं। ऐसे में

(शासकीय)



तिलकसिंह प्र०सा०-1 की साक्ष्य विधिक बल नहीं रखती है और यह निष्कर्षित किया जाता है कि विवादित भूमि में अपीलार्थी/प्रतिवादीगण एवं वादी ओंकारसिंह का समान रूप से 1/3, 1/3 भाग का हक व अधिकार एवं हिस्सा है। ऐसी स्थिति में वाद प्रश्न क्रमांक-1 व 2 को विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रमाणित मानने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है और उनके संबंध में अधीनस्थ न्यायालय का निष्कर्ष स्थिर रखा जाता है।

34. जहाँ तक विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा भी प्रचलित की गई है, उसकी विधि मान्यता के संबंध में यदि निष्कर्ष निकाला जावे तो स्वयं विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आलोच्य निर्णय की कण्डिका-21 में यह निष्कर्षित किया है कि जब बंटवारा अस्तित्व में ही नहीं रह गया है बल्कि स्थिति यह बन रही है कि विवादित भूमि पैतृक है और स्वयं प्रतिवादी ने माना है कि पिता झण्डासिंह की मृत्यु के बाद उपरोक्त भूमि में 1/3-1/3 समान भाग प्राप्त हुआ जिससे बंटवारे का आधार निर्बल हो जाता है। अर्थात् विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह तो निष्कर्षित किया है कि वादग्रस्त भूमि पैतृक और शामिलाली है और कोई विधिक बंटवारा नहीं है। किन्तु उसके बावजूद स्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित करने में अवश्य विधिक त्रुटि की गई है। क्योंकि यह सुस्थापित विधि है कि संयुक्त अविभाजित पैतृक भूमि की दशा में वगैर विभाजन अनन्य कब्जे का दावा नहीं किया जा सकता है क्योंकि ऐसी स्थिति में एक हिस्सेदार का कब्जा भी सभी की ओर से माना जाता है और ऐसी स्थिति में व्यादेश की डिक्री नहीं दी जा सकती है। माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा भी न्याय दृष्टांत **लक्ष्मीनारायण एवं अन्य विरुद्ध कैलाशनारायण एवं अन्य 1995 राजस्व निर्णय पेज-415** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि प्रत्येक सहस्वामी का भूमि के प्रत्येक अंश भाग पर अधिकार होता है और वगैर विभाजन के व्यादेश नहीं दिया जा सकता है। एवं न्याय दृष्टांत **बलदेव प्रसाद विरुद्ध छूबड़प्रसाद 1997 भाग-1 एम०पी०डब्ल्यू०एन० एस०एन० 235** में भी यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि अविभक्त हिन्दू संपत्ति में वगैर विभाजन अनन्य कब्जे का दावा नहीं किया जा सकता है और न ही व्यादेश दिया जा सकता है। तथा न्याय दृष्टांत **कचरूमल विरुद्ध मांगीलाल 1997 भाग-1 एम०पी०डब्ल्यू०एन० एस०एन०-143** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि किसी सहस्वामी के विरुद्ध व्यादेश की डिक्री नहीं हो सकती है।

35. विचाराधीन मामले में भी बंटवारे के अस्तित्व को ग्रहण नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित पैतृकसंपत्ति होने से कोई भी हिस्सेदार तब तक व्यादेश प्राप्त नहीं कर सकता है जब तक कि उसका वैध रूपेण बंटवारा नहीं हो जाता है। ऐसी स्थिति में आधिपत्य का बिन्दु गौण हो जाता है और आधिपत्य के संबंधमें जो वादी/प्रत्यर्थी की ओर से मौखिक साक्ष्य पेश की गई है जिसमें वह अपना विशिष्ट भूमि हिस्सा 1/3 पर अनन्य कब्जा बताता है। उससे संबंधित साक्ष्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसलिये विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा वाद प्रश्न क्रमांक-3 को वादी/प्रत्यर्थी के पक्ष में प्रमाणित मानने में उक्त विधिक स्थिति को देखते हुए निश्चित रूप से गंभीर विधिक त्रुटि की है तथा जो स्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित की गई है उसे विधिक रूप से स्थिर नहीं रखा जा सकता है। इसलिये स्थाई निषेधाज्ञा के संबंध में ही प्रस्तुत की गई प्रथम सिविल अपील

(शासकीय)

स्वीकार हो सकती है। हक अधिकार और हिस्से के संबंध में प्रस्तुत की गई प्रथम सिविल अपील में कोई विधिक बल नहीं है।

**36.** फलतः उपरोक्त समग्र साक्ष्य, तथ्य परिस्थितियों एवं उठाये गये विधिक बिन्दुओं पर विचार करने के उपरान्त अपीलार्थी/प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत की गई प्रथम सिविल अपील आंशिक रूप से वाद प्रश्न क्रमांक-3 के संबंध में आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर शेष बिन्दुओं पर अस्वीकार की जाकर स्थाई निषेधाज्ञा के संबंध में पारित डिक्री की कण्डिका-3 को अपास्त किया जाता है। शेष को स्थिर रखते हुए निम्न आशय की संशोधित डिक्री प्रदत्त की जाती है कि-

1. प्रत्यर्थी/वादी वाद पत्र के पद क्रमांक-1 में वर्णित विवादित भूमि स्थित ग्राम खरौआ तहसील गोहद के हिस्सा 1/3 का भूमिस्वामी होकर आधिपत्यधारी है।
2. बंटवारा पंजी क्रमांक-05 आदेश दिनांक 04.04.06 वादी/प्रत्यर्थी के मुकाबले शून्य है।
3. प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए उभयपक्ष अपना अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। जिसमें अभिभाषक शुल्क प्रमाणित किये जाने पर या तालिका अनुसार जो भी कम हो, वह जोड़ा जावे।

तदनुसार डिक्री तैयार की जावे।

दिनांक- **07.04.16**

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित  
एवं दिनांकित कर पारित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

**(पी0सी0आर्य)**

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश  
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

**(पी0सी0आर्य)**

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश  
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

सामान्य जानकारी के लिए  
(शासकीय / विधिक उपयोग)